कार्यालयः—जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज।

(शाखा—साक्षरता)

पत्रांक 213 /

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
साक्षरता गोपालगंज।

सेवा में,

जिला सूचना पदाधिकारी,
NIC गोपालगंज।

गोपालगंज दिनांक 22.08.23/

विषयः— महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछडा वर्ग अक्षर ऑचल योजना अंतर्गत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन हेतु विज्ञापन एवं मार्ग निदेशिका NIC गोपालगंज के वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछडा वर्ग अक्षर ऑचल योजना अंतर्गत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन हेतु विज्ञापन एवं मार्ग निदेशिका NIC गोपालगंज के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु विज्ञापन एवं निदेशिका के पेन ड्राईब के साथ संलग्न कर भवदीय सेवा मे भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः—यथोक्त

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
साक्षरता गोपालगंज।

कार्यालयः—जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज।

(शाखा—साक्षरता)

सूचना

राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित, एवं अल्पसंख्यक अतिपछड़ा वर्ग अक्षर ऑचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक ता0म0 के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक अहर्ताधारी अभ्यार्थी अपना आवेदन दिनांक—24.08.2023 से 04.09.2023 तक संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक के कार्यालय में जमा करा सकते है। समयावधि के समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा। सभी को मार्गदर्शिका 2018 के कंडिका 04 जो पृष्ठ संख्या 04 पर अंकित दिशा—निर्देश के आलोक में योग्य अभ्यार्थी आवेदन कर सकते है।साक्षरता शिक्षा या सरकार की किसी योजना में कम से कम छः माह या उसे अधिक समय तक काम करने वाले अभ्याथियों को अतरिक्त अंक दिया जायेगा। साथ ही आवेदन के साथ शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र, अवासीय प्रमाण—पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित की छाया प्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

सुविधा के लिए मार्गदर्शिका 2018 अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक—1284 दिनांक—24.07.2023 तथा प्रखण्डवार एवं विद्यालयवार रिक्ति संलग्न है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
साक्षरता, गोपालगंज।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज

(साक्षरता शाखा)

गोपालगंज जिले में प्रखण्डवार शिक्षा सेवक (तालिमी मरकज) के स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति के विरूद्व लक्ष्य समूह बाहुल्य सूची।

कमांक	प्रखण्ड का नाम	कुल स्वीकृत बलस्वयं शिक्षा सेवी (तालिमी मरकज)	कार्यरत बल	रिक्ति	चिन्हित अबादी बाहुल्य सर्वेक्षित टोला	कोटि	पंचायत का नाम	सम्बध विद्यालय का नाम
1	गोपालगंज	18	16	2	1 बथानी टोला,एकडेवॉ	महिला	एकडेरवा	म0वि0 एकडेरवॉ
					2. बलुआ टोला उतर टोला	पुरूष	जादोपुर शुक्ल	उ0म0वि0 जादोपुर राज
2	थावे	12	5	7	1 इन्द्रवॉ बैरम	महिला	इन्द्रवा एबादुल्लाह	उ0म0वि0 इन्द्रवा बैरम
					2. बगहा शैदा	पुरूष	एकडेरवा	प्रा0मक0 बगहा शैदा
					3. मुकेरी टोला	महिला	सेमरा	न0प्रा0वि0 मुकेरी टोला
					4 सेमरा पूरब टोला	पुरूष	सेमरा	आ0र0म0वि0 सेमरा
					5. सेमरा राहिलपर	महिला	सेमरा	रा0म0वि0 सेमरा
					6. विश्वम्भरपुर	पुरूष	धतीवना	उ0म0वि0 विश्वम्भरपुर
					7. इन्दरवॉ रफी	महिला	इन्दरवॉ एबादुल्लाह	न0प्रा0वि0 इन्दरवॉ ~~एबादुल्लाह~~ रफी
3	मांझा	29	19	10	1. देवापुर आकिल टोला	महिला	पैठानपटी	उ0म0वि0 देवापुर आकिल टोला
					2 पैठानपटी	पुरूष	पैठानपटी	उ0म0वि0 पैठानपटी
					3. संतपुर	महिला	पंठानपटी	उ0म0वि0 संतपुर
					4. मिरा टोला	पुरूष	देवापुर शेखपुर्दील	न0प्रा0वि0 साहबुदीन टोला
					5. छवहीतक्की	महिला	छवहीतक्की	प्रा0वि0 छवहीतक्की
					6 वहोरा टोला	पुरूष	छवहीतक्की	न0प्रा0वि0 बहोरा टोला
					7. छितौली	महिला	सिपाहखास	उ0म0वि0 छितौली
					8 जगीराहा टोला	पुरूष	जगरनाथा	प्रा0मकतब0वि0 दानापुर
					9. भवानींगंज	महिला	मांझा पश्चिमी	उ0म0वि0 भवानीगंज
					10. भोजपुरवा	पुरूष	भोजपूरवा छवही तकी	उ0म0वि0 भोजपूरवा
					1. बलहॉ	महिला	बघेजी	उ0म0वि0 बलहॉ उर्दू
					2. मुस्लिम टोला बतरदेह	पुरूष	बतरदेय	उ0म0वि0 सरफरा बालक
					3.मौजे देवापुर	महिला	देवापुर	उ0म0वि0 देवापुर कन्या

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	कुल स्वीकृत बलस्वयं शिक्षा सेवी (तालिमी मरकज)	कार्यरत बल	रिक्ति	चिन्हित अबादी बाहुल्य सर्वेक्षित टोला	कोटि	पंचायत का नाम	सम्बध विद्यालय का नाम
4	बरौली	26	8	18	4. माडनपुर	पुरूष	नवादा	रा0म0वि0 माडनपुर
					5. बंगलापुर	महिला	विष्णुपुरा	उ0म0वि0 चरवाहा विष्णुपुरा
					6. मौजे रूपनछाप	पुरूष	महोद्वीपुर पकडिया	उ0म0वि0 रूपनछाप
					7. सलेमपुर डेरवाँ .	महिला	सलेमपुर पूर्वी	प्रा0वि0 सलेमपुर मलाही टोला
					8. बखरौर जदी	पुरूष	मोगल विरैचा	उ0म0वि0 बखरौर
					9. सदौवा धोबी टोला	महिला	सदौवा	म0वि0 सदौवा
					10. माधोपुर डुमर साह	पुरूष	माधोपुर	उ0म0वि0 माधोपुर डुमर साह
					11. दर्जी टोला	महिला	विष्णुपुरा	रा0म0वि0 विष्णुपुर
					12. चौरसिया टोला	पुरूष	महोद्वीपुर पकडिया	म0वि0 देवापुर
					13. सोनबरसा	महिला	सोनबरसा	उ0म0वि0 सोनबरसा
					14. दक्षिण मौगल विरैचा	पुरूष	मोगल विरैचा	रा0म0वि0 मोगल विरैचा
					15. महम्मदपुर लाला लाग के टोला	महिला	महम्मदपुर निलामी	उ0म0वि0 महम्मदपुर जदी
					16. पेट विरैचा	पुरूष	कल्याणपुर	प्रा0वि0 पेट विरैचा
					17. चंदन टोला	महिला	नवादा	रा0प्रा0वि0 चंदन टोला
					18 मिलकी विरैचा	पुरूष	मोगल विरैचा	उ0म0वि0 मोगल विरैचा उर्दू
5	सिधवलिया	15	9	6	1. उतर टोला कुसहर	महिला	कुसहर	उ0म0वि0 कुसहर
					2. दफली टोला	पुरूष	जलालपुर कला	न0प्रा0वि0 हरिजन टोलाजलालपुर
					3.बरहिमा मठिया	महिला	सुपौली	न0प्रा0वि0 नरहिमा मठिया
					4. दर्जी टोला	पुरूष	महम्मदपुर	उ0म0वि0 महम्मदपुर
					5.शीतलपुर	महिला	अमरपुरा	प्रा0वि0 बंजरिया
					6. मौजे सुपौली	पुरूष	सुपौली	न0प्रा0वि0 मौजे सुपौली
6	बैकुण्ठपुर	25	18	7	1 बनकटी दक्षिण टोला	महिला	खौराआजम	उ0म0वि0 बनकटी दक्षिण
					2 आशा दौरा साहाबुदीन के टोला	पुरूष	प्यारेपुर	उ0म0वि0 आशा दौरा
					3 जादोपुर अंसारी टोला मनिहारी [illegible] टोला	महिला	[illegible]	उ0म0वि0 [illegible] मनिहारी

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	कुल स्वीकृत बलस्वयं शिक्षा सेवी (तालिमी मरकज)	कार्यरत बल	रिक्ति	चिन्हित अबादी बाहुल्य सर्वेक्षित टोला	कोटि	पंचायत का नाम	सम्बध विद्यालय का नाम
					4 धोबी टोला वार्ड 3,4,5,6	पुरूष	जगदीशपुर	उ0म0वि0 जगदीशपुर
					5 बराहा(दर्जी टोला, जोलहा टो	महिला	गम्हारी	म0वि0 फकलपुरा
					6 विस्टौल टोला	पुरूष	धर्मवारी	उ0म0वि0 विस्टौल
					7 बंगरा	महिला	बंगरा	म0वि0 कृतपुरा
7	कुचायकोट	30	23	7	1 बघउच हरी	महिला	बनतईल	प्रा0वि0 बघउच हरी
					2 महुअवॉ	पुरूष	खजुरी	उ0म0वि0 महुअवॉ हिन्दी
					3 तकियाबारी	महिला	विक्रमपुर	न0प्रा0वि0 लाछपुर तकियावारी
					4 नेचुआ पाण्डेय टोला	पुरूष	मठिया हरदो	प्रा0वि0 नेचुआ पाण्डेय टोला
					5 लक्ष्मीपुर कचहरी	महिला	संगवाडीह	उ0म0वि0 लक्ष्मीपुर
					6 नवका सेमरा	पुरूष	सेमरा	न0प्रा0वि0 नवका सेमरा
					7 अहिरौली दुबौली	महिला	अहिरौली दुबौली	उ0म0वि0 अहिरौली दुबौली
८	हथुआ	25	10	15	1 लाईन बाजार	महिला	लाईन बाजार	प्रा0वि0 मक्तब लाइन बाजार
					2 बउलिटोला खैरटिया	पुरूष	खैरटिया	उ0म0वि0 खैरटिया
					3 हथुआ दक्षिण	महिला	हथुआ	प्रा0वि0 हथुआ दक्षिण
					4 राजापुर	पुरूष	सवरेजी	उ0म0वि0 नारेनिया
					5 खानसामा टोला	महिला	रतनचक	प्रा0वि0 खानसामा टोला
					6 पेउली	पुरूष	फतेहपुर	प्रा0वि0 पेउली
					7 मनीछापर	महिला	हथुआ	उ0म0वि0 मनीछापर
					8 बारवा	पुरूष	बारवा कपरपुरा	म0वि0 बारवा कपरपुरा
					9 दलिचक	महिला	कुसौधी	न0प्रा0वि0 दलिचक
					10रसुलपुर	पुरूष	रतनचक	न0प्रा0वि0 रसुलपुर
					11 अलीचक लोहिया नगर	महिला	लाईन बाजार	न0प्रा0वि0 अलीचक लोहिया नगर
					12 रेपुरा नहर पुल से मस्जिद तक	पुरूष	बरीइसर	म0वि0 रेपुरा
					13 मछागर लछिराम	महिला	14 मछागर लछिराम	उ0म0वि0 मछागर लछिराम
					14 भोज हाता पचफेडा	पुरूष	पचफेडा	उ0म0वि0 भोजहाता
					15 सरिसवा रानी	महिला	कुसौधी	म0वि0 सरिसवा रानी

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	कुल स्वीकृत बलस्वयं शिक्षा सेवी (तालिमी मरकज)	कार्यरत बल	रिक्ति	चिन्हित अबादी बाहुल्य सर्वेक्षित टोला	कोटि	पंचायत का नाम	सम्बध विद्यालय का नाम
9	उचकागांव	16	12	4	1.साथी	महिला	त्रिलोकपुर	उ0म0वि0 साथी
					2. जमसड	पुरूष	जमसड	प्रा0वि0 जमसड
					3. पडवलिया सतकोटवा	महिला	हरपुर	प्रा0वि0 पडवलिया
					4. मकसुदपुर	पुरूष	परसौनी खास	म0वि0 मकसुदपुर
10	फुलवरिया	14	12	2	1 मगहॉ	महिला	1 गिदहॉ	उ0म0वि0 मगहॉ
					2 ठकुरीचक	पुरूष	2 गोसाई मॉझा	प्रा0वि0 ठकुरीचक
11	भोरे	19	16	3	1 चकरवॉ उसरा टोला	महिला	चकरवॉ खास	उ0म0वि0 चफवा
					2 हरियर छापर,भुखल छापर	पुरूष	सिसई	प्रा0वि0 जुगुल टोला
					3 बनकटा खास	महिला	बनकटा जागीरदारी	प्रा0वि0 बनकटा खास
12	विजयीपुर	15	14	1	1 मंझरिया	महिला	अहियापुर	उ0म0वि0 बगरा मठिया
13	कटेया	12	9	3	1 रूद्रपुर	महिला	रूद्रपुर	म0वि0 रूद्रपुर
					2 मंछरिया	पुरूष	करकटाहा	प्रा0वि0 साहनरिया
					3 राजापुर	महिला	करकटाहा	प्रा0वि0 राजापुर
14	पंचदेवरी	10	5	5	1 चकपान	महिला	सिकटिया	प्रा0वि0 तिवारी टोला
					2 भगवानपुर	पुरूष	भगवानपुर	उ0म0वि0 भगवानपुर
					3 बनकटिया	महिला	बनकटिया	उ0म0वि0 बनकटेया
					4 नहर टोला इमिलिया	पुरूष	मझवलिया	न0प्रा0वि0 नहर टोला इमिलिया
					5 महुअवा	महिला	महुअवा	उ0म0वि0 महुअवा
		266	176	90				

एस0आर0जी0
गोपालगंज

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
साक्षरता, गोपालगंज।

अनुमोदित
13/8/23
जिला कल्याण पदाधिकारी
गोपालगंज

जिला शिक्षा पदाधिकारी
गोपालगंज।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज

(साक्षरता शाखा)

गोपालगंज जिले में प्रखण्डवार शिक्षा सेवक (उत्थान केन्द्र) के स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति के विरुद्ध लक्ष्य समूह बाहुल्य टोले की सूची।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	कुल स्वीकृत बलस्वयं शिक्षा सेवी (तालिमी मरकज)	कार्यरत बल	रिक्ति	चिन्हित अबादी बाहुल्य सर्वेक्षित टोला	कोटि	पंचायत का नाम	सम्बद्ध विद्यालय का नाम	अभियुक्ति
1	सिघवलिया	4	3	1	1.झझवॉ	महिला	सुपौली	उ0म0वि0 झझवॉ	
2	थावे	4	3	1	1.चकहरा तकिया	महिला	वृदावन	प्रा0वि0 इन्द्रासवास	

एस0आर0जी0
गोपालगंज

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
साक्षरता, गोपालगंज।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
गोपालगंज।

अनुमोदित
18/8/23
जिला कल्याण पदाधिकारी
गोपालगंज

पत्रांक–13/वि0 03–01/2016.....1284..../

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग

(12)

अत्यावश्यक
ईमेल

प्रेषक,

के० के० पाठक (भा०प्र०से०),
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक–..24.07.2023/

विषय :– राज्य स्कीम अन्तर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर चयन करने के सबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 1570 दिनांक 23.07.2018 एवं पत्रांक 1566 दिनांक 05.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन किया जाना है। इस संबंध में आपको विभागीय पत्रांक–1570, दिनांक 23.07.2018 के द्वारा शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक–1566, दिनांक 05.07.2019 के द्वारा आपको विस्तृत निर्देश पूर्व में दिया जा चुका है (छाया प्रति संलग्न)।

जिला स्तर पर शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की रिक्ति से संबंधित जिलावार विवरणी संलग्न करते हुए कहना है कि जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को हटाया गया है तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन/सेवामुक्ति से संबंधित विवाद विचारण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है उतने पदों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर शेष रिक्त शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन मार्गदर्शिका, 2018 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जाय। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन नहीं हो।

शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन से संबंधित एक वर्क कैलेण्डर भी इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु०–यथोपरि।

248
27/7/23

विश्वासभाजन
ह0/–
(के०के० पाठक)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–..1284........ पटना, दिनांक–24.07.2023

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)/सभी सदस्य, राज्य संसाधन समूह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E/AK/IMP/Letter 2023

पत्रांक–13/वि0 03–34/2016–......1566

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

आर0के0महाजन,
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 05/07/19 /

विषयः महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर चयन करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–1570 दिनांक–23.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति एवं मार्ग दर्शिका 2018 की मुद्रित प्रति संलग्न करते हुये कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत जिलों में रिक्ति के विरुद्ध पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन करने का निदेश दिया गया था, जो अब तक लम्बित है। इस संबंध में अंकित करना है कि मार्गदर्शिका, 2018 के आलोक में रिक्त पदों पर चयन एवं नियोजन किया जाना शीघ्र आवश्यक है।

(i) जिले के लिये निर्धारित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के लक्ष्य के अनुरूप ही चयन किया जायेगा। निर्धारित संख्या में रिक्ति कोटि के स्वीकृत बल के अनुरूप होगी।

(ii) किस टोले में केन्द्र खोला जाये इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले का सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेन्डरी सोर्स के आँकड़ों के आधार पर दलित– महादलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछडा वर्ग बाहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की ओर प्रखण्डवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों के संबंधित आँकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है।

(iii) सर्व प्रथम चयन का स्थान, चयन की कोटि (शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) महिला या पुरूष) निर्धारित किया जाएगा, जिसपर आपका अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iv) किसी शिक्षा सेवक की यदि मृत्यु या पदत्याग करने से हुये रिक्त पदों पर जहाँ पूर्व के कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहाँ नियोजन किया जायेगा। अर्थात्, जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है वहाँ एक साल की सेवा पूर्व के शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखण्ड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता (महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर) के बावजूद केन्द्र नहीं दिया जा सका था, वहाँ के लिए इकाई आवंटित करके चयन की कार्रवाई होगी।

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु

वर्क कैलेण्डर

क्र० सं०	कार्य	कार्य विवरणी	तिथि	जिम्मेवारी
1.	आबादी की प्रखण्डवार सूची तैयार करना	सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेन्डरी सोर्स के आंकड़ों के आधार पर पूरे जिले की महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की अधिकतम से घटते क्रम में (आबादी के आधार पर) प्रखण्डवार सूची तैयार करना।	31 जुलाई, 2023 तक	जिला पदाधिकारी द्वारा चिह्नित पदाधिकारी
2.	रिक्ति निर्धारण	महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की प्रखण्डवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का निर्धारण।	05 अगस्त, 2023	जिला पदाधिकारी द्वारा चिह्नित पदाधिकारी
3.	समिति गठन	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन।	14 अगस्त, 2023 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
4.	विज्ञापन	नियोजन हेतु एन०आई०सी० के वेबसाईट तथा प्रखण्ड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस/सूचना के द्वारा प्रकाशन।	19 अगस्त, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
5.	आवेदन प्राप्त करना	समिति के सदस्य-सह-संयोजक (चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना। पंजी के पृष्ठांकन का सत्यापन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।	04 सितम्बर, 2023 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
6.	मेधा अंक की गणना	नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाईट, प्रखण्ड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित करना।	09 सितम्बर, 2023	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
7.	आपत्ति आमंत्रण	मेधा सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह के अंदर आपत्ति प्राप्त करना, आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद देना तथा आपत्ति का तिथिवार पंजी में संधारण।	16 सितम्बर, 2023 तक	चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
8.	आपत्ति निराकरण	आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिन से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण एवं इससे संबंधित अभिलेख का संधारण।	19 सितम्बर, 2023 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
9.	अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के वेबसाईट/जिला कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन।	23 सितम्बर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
10.	मेधा सूची का अनुमोदन	मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना।	12 अक्टूबर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
11.	प्रशिक्षण संबंधी सूचना	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को प्रशिक्षण संबंधी सूचना देना।	16 अक्टूबर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं चिह्नित विद्यालय 25 के प्रधानाध्यापक
12.	प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का पांच दिवसीय प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण के अंतिम दिन नियोजन पत्र का वितरण।	26 अक्टूबर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
13.	निदेशालय को सूचना	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के सूची का जन शिक्षा निदेशालय में प्रेषण।	31 अक्टूबर, 2023 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)

अनुलग्नक– ख

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन हेतु आवेदन पत्र

क्रम सं0–

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा
निर्धारित जाति बहुलता ....
आरक्षण (महिला) ....

आवेदक द्वारा भरा जाएगा
(जिस पंचायत/वार्ड (शहरी) के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसका नाम)
टोला/पंचायत/वार्ड (शहरी) ....

पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3 माता का नाम ....
4. जाति प्रमाण-पत्र ....
5. (क) जन्मतिथि — दिन [ ][ ] माह [ ][ ] वर्ष [ ][ ][ ][ ]
   (ख) उम्र (दिनांक 01.08.20...... को) — वर्ष [ ][ ] माह [ ][ ] दिन [ ][ ]
6. स्थायी निवास
   (क) टोला/गांव/मुहल्ला ....
   (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) ....
   (ग) प्रखण्ड/नगर निकाय ....
   (घ) जिला ...., (च) राज्य ...., (छ) पिन कोड ....
   (ज) आधार सं0..........................
   (झ) फोन/मोबाईल नं0 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
7. शैक्षणिक योग्यता

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	कोटि (दलित/महादलित/अल्पसंख्यक पिछड़ावर्ग	महिला/पुरुष	जन्म तिथि	पूर्णांक	मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अनुभव अंक	योग (9+10)	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

घोषणा -- मेरी जानकारी और विश्वास में उपर्युक्त सूचनाएँ सत्य हैं। असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान–
दिनांक –

आवेदक का पूरा नाम　　　　हस्ताक्षर

नोट– आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्वयं अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें– 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र 2 आवासीय प्रमाण–पत्र 3. कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र। 4 अनुभव की अवधि में वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र। 5 जाति प्रमाण पत्र।

✂----------------------------✂----------------------------✂

टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति श्री ....
(क) टोला/गांव/मुहल्ला .... (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) ....
(ग) प्रखण्ड/ नगर निकाय .... (घ) जिला .... का आवेदन पत्र टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी के नियोजन हेतु दिनांक .... को प्राप्त किया। इन्होंने पंचायत/वार्ड (शहरी) .... प्रखण्ड/नगर निकाय .... जिला .... के लिए आवेदन दिया है जिसका क्र0 सं0 .... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर

Rajani Kumari

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018

जन शिक्षा निदेशालय

तृतीय मंजिल, कमरा सं0–351, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना।

५१२..

(v) उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना का आरंभ 2012–13 में किया गया। इस योजना से अपेक्षा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग में साक्षरता (विशेषकर महिला साक्षरता) में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और इस वर्ग एवं समुदाय के बच्चे गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में सफल होंगे। यह योजना इन समुदायों एवं वर्गों की महिलाओं और बच्चों को साक्षर और शिक्षित करते हुए उन्हें मुख्यधारा में शामिल कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा करेगी। यह योजना महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान एवं उत्प्रेरण का कार्यक्रम है।

2. टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का कार्य एवं दायित्व :– महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग में साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिये टोला सेवक एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य इस समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनने के लिये प्रेरित करना, तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाये जा रहे साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना है। इनके कार्यों एवं दायित्वों को निम्नांकित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है:–

(क) (i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी निर्धारित टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत् या उससे अधिक बनाये रखने के लिये एवं छीजन कम करने के लिये काम करेंगे। इनकी भूमिका सुगमकर्त्ता (Facilitator) एवं प्रेरक (Motivator) की होगी।

(ii) टोले के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी कराकर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जायेंगे। विद्यालय प्रधान से सम्पर्क कर सबों के नामांकन एवं सीखने की व्यवस्था विद्यालय में करायेंगे। चेतना सभा में एवं आरंभ में दो घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों को विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के साथ जुड़ने में सहयोग करेंगे।

(iii) उपर्युक्त कार्य के लिये सर्वे द्वारा बच्चों की बाल पंजी एवं असाक्षर वयस्क महिलाओं/माताओं की पंजी तैयार करना, विद्यालय में नामांकन कराना, बच्चों को टोला से एक साथ विद्यालय पहुँचाना, कक्षा में बच्चे मुख्यधारा के साथ हों एवं सीखने के लिए तैयार हों इसके लिए कार्य करना, विद्यालय के पूर्व बच्चों के लिये कोचिंग कक्षा का संचालन करना, समय–समय पर बच्चों की काउन्सलिंग करना, विद्यालय के शिक्षकों एवं अभिभावकों से नियमित संपर्क रखना उनके कार्य में शामिल होगा।

(ख) (i) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने टोले के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय आरंभ होने से पहले विद्यालय के लिए तैयार करेंगे, कोच (coach) करेंगे। इसके साथ ही वे 15 से 35 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को दोपहर में एक घंटे तक पढ़ाने का एवं बाद में टोलों मे सम्पर्क का कार्य भी करेंगे। विद्यालय संचालन के समय में परिवर्त्तन होने पर एवं ग्रीष्मावकाश व लम्बी छुट्टियों में पढ़ाने के समय में परिवर्त्तन आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) निर्धारित टोले के असाक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं बच्चों के सीखने की उपलब्धि की जानकारी माताओं को देना इनका दायित्व होगा।

(ग) सरकार की विकास योजनाओं, समाज सुधार के कार्यक्रमों से टोले के लोगों को परिचित कराना एवं जागरूक करना इनका कार्य होगा। टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने–अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, आपदा प्रबंधन आदि विभागों एवं लाभुकों के बीच कड़ी का काम करेंगे। गांव/टोला के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार के स्तर से दी जानेवाली सुविधाओं की जानकारी देना तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें नियमानुसार सभी व्यक्ति को प्राप्त हो इस हेतु प्रयास करना उनसे अपेक्षित होगा।

(घ) समय–समय पर जन शिक्षा निदेशालय द्वारा आवंटित शिक्षा, साक्षरता, जन जागरण एवं सामाजिक कुरीतियों में सुधार के कार्य उनके द्वारा किए जाएँगे।

चयन की प्रक्रिया

3. रिक्ति का निर्धारण एवं चयन :–

(क) (i) पूरे राज्य के लिए टोला सेवक (20,000) एवं शिक्षा स्वयंसेवियों (10,000) की संख्या निर्धारित है। यह जिलावार आबादी के आधार पर आवंटित की गई है जिसे अनुलग्नक 'क' में दर्शाया गया है। यह संख्या जिले के लिए निर्धारित बल हैं। इस संख्या से अधिक का चयन/नियोजन अवैध होगा। निर्धारित संख्या में भी रिक्ति की कोटि स्वीकृत बल के अनुरूप होगी।

(ii) किस टोले में केन्द्र खोला जाये इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले के सर्वे के आधार पर दलित– महादलित बाहुल्य एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग बाहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की

ओर प्रखण्डवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों के संबंधित आँकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। टोलों की संख्या की तुलना में निर्धारित इकाई कम है। अतएव सर्वप्रथम अधिक संख्या वाले टोले में टोला सेवक/स्वयंसेवी का चयन किया जाएगा। यह क्रम अधिक से कम की ओर होगा। सर्व प्रथम चयन का स्थान, चयन की कोटि (टोला सेवक या स्वयंसेवी महिला या पुरूष) निर्धारित किया जाएगा। इस सूची पर जिला पदाधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iii) 60 वर्ष के उम्र के पूर्व के यदि कार्यरत टोला सेवक/स्वयंसेवी की मृत्यु हो जाती है या पद–मुक्ति या त्याग या अन्य कारणों से रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्तियों पर चयन प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व जिला पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) यदि रिक्त स्थान पर पूर्व के कार्यरत टोला सेवक/स्वयंसेवी एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं तो यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोले को देते हुए वहाँ नियोजन किया जायेगा। अर्थात्, जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है वहाँ एक साल की सेवा पूर्व के टोला सेवक/स्वयंसेवी द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखण्ड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता (महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर) के बावजूद केन्द्र नहीं दिया जा सका था, वहाँ के लिए इकाई आवंटित करके चयन की कार्रवाई होगी।

(ख) जिलों में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय से एक टोला सेवक/शिक्षा सेवी का चयन किया जायेगा। टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा।

4. चयन हेतु योग्यता :–

(क) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता देय नहीं होगी।

5. चयन :–

(क) टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाएगा। समिति गठन हेतु पहल सदस्य–सह–संयोजक द्वारा किया जायेगा :–

क्र०	पद	ग्रामीण क्षेत्र	सं०
i	अध्यक्ष	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य	1
ii	सदस्य–सह–संयोजक	संबंधित वार्ड के पोषक विद्यालय या टोला से निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक (एक से अधिक विद्यालय होने के स्थिति में वरीय प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक)	1
iii	चार स्थानीय सदस्य	जिस टोले में चयन होना है वहाँ के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में टोले की आम सभा में संबंधित समुदाय (महादलित/दलित/अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग) के चयनित चार सदस्य जिनमें से दो महिला अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में रहेंगी।	4 (2 महिला अनिवार्य)
iv	सदस्य	संबंधित पंचायत के निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला सदस्य	1
v	सदस्य	चयनित होनेवाले टोले की जीविका दीदी (यदि चयन होनेवाले वार्ड मे जीविका दीदी नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका द्वारा उसी पंचायत से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा। पंचायत स्तर पर जीविका दीदी उपलब्ध नहीं रहने पर प्रखंड से किसी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।)	1
vi	सदस्य	संबंधित प्रखण्ड के के0आर0पी0	1
		कुल संख्या	9

(ख) निर्धारित/स्वीकृत बल की रिक्ति के विरूद्ध स्थान (टोला) एवं संख्या (50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए निर्धारित करते हुए), का अनुमोदन जिला पदाधिकारी से लेने के पश्चात् नियोजन की कार्रवाई आरंभ होगी। सूचना प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर 21 दिन पूर्व प्रकाशित की जायेगी। इसे कम से कम निम्नांकित 5 सार्वजनिक स्थलों के नोटिस बोर्ड पर अवश्य चिपकाया जायेगा एवं उनके कार्यालय प्रधान को प्रचारार्थ एक प्रति प्राप्त करायी जायेगी:–

(i) प्रखण्ड प्रमुख कार्यालय (ii) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय (iii) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, (iv) जिस पंचायत में चयन किया जाना है उसके सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (v) जिस पंचायत के लिए चयन किया जाना है उसके पंचायत भवन। नियोजन का सम्पूर्ण कार्यक्रम जिले की सरकारी (NIC) वेबसाईट् पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

(ज) नियोजन हेतु निर्मित पैनल मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। किसी ठोस कारण से यदि पैनल से नियोजन नहीं हो पाया तो एक वर्ष बाद नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।

(झ) चयनित अभ्यर्थियों के योगदान के उपरांत संयोजक के द्वारा उनके शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत सही पाए जाने पर ही मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध संयोजक द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

(ञ) चयन पर दावा/आपत्ति होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों तक प्रथम अपील किया जा सकता है। प्रथम अपील में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा 30 दिनों के अंदर ऐसे द्वितीय अपील का निष्पादन किया जायेगा।

6. मानदेय :-

(क) प्रत्येक टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को प्रतिमाह रु0 8000.00 (आठ हजार) मात्र मानदेय संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) कार्यालय से भुगतान उनके आधार संबद्ध (Seeded) खाते में ही आर0टी0जी0एस0 या अन्य निर्धारित बैंक की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। मानदेय का भुगतान प्रधानाध्यापक द्वारा के0आर0पी0 को उपलब्ध करायी गयी ऋणात्मक विवरणी (Negative Statement) के आधार पर किया जायेगा। टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवियों की अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में अनुपस्थित दिवस की गणना के साथ के0आर0पी0 को विवरणी उपलब्ध करा दी जाएगी एवं के0आर0पी0 द्वारा 10 तारीख तक ऋणात्मक सूची जिला कार्यालय साक्षरता को जमा की जाएगी। ऋणात्मक सूची नहीं देने की स्थिति में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी को अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित मानते हुए मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतानोपरांत यदि तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी भी प्रकार का गलत भुगतान हुआ है तो उनके अगले माह के मानदेय से कटौती की जायेगी। दोषपूर्ण विवरणी देने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक/के0आर0पी0 जवाबदेह होंगे एवं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(ख) टोला सेवकों/स्वयंसेवकों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व के विकास के लिये समय–समय पर आकलन करते हुए उपचारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

9. कार्यस्थल/कार्यक्षेत्र में परिवर्तन :–

(i) सम्पूर्ण बिहार में महादलित, दलित, अल्पसंख्यकों के टोले हजारों की संख्या में हैं। परन्तु, इस कार्यक्रम में केन्द्रों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 हजार (20 हजार टोला सेवकों के लिए एवं 10 हजार शिक्षा स्वयंसेवियों लिए) है। जो कार्य इन्हें टोले में आवंटित हैं वह 2 वर्ष के अधीन भली भाँति पूरा किया जा सकता है। यदि कोई टोला सेवक इसे 2 वर्ष में नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक वर्ष के समय का विस्तार उसी टोले में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। इसके बाद भी लक्ष्य (80 प्रतिशत) पूरा नहीं होने की स्थिति में उन्हें अयोग्य मानते हुए उनकी सेवा–मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी इन निर्णयों के लिये टोला के विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन, वार्ड सदस्य के प्रतिवेदन, माताओं की राय, के.आर.पी. के प्रतिवेदन पर स्वयं के तथ्यात्मक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेंगे एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को प्रेषित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा मुक्ति का आदेश दे सकेंगे।

(ii) एक टोले में टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी 2 वर्षों तक कार्य करेंगे। दो वर्ष से पूर्व दूसरे टोले के लिए स्थल परिवर्तन नहीं होगा। उनसे यह अपेक्षा है कि उस टोले के लिए निर्धारित लक्ष्य को भली–भाँति 2 वर्ष के अन्दर प्राप्त कर लेंगे। अधिकतम तीन वर्ष तक कार्य की अनुमति होगी। कार्यस्थल के पंचायत के अन्दर दूसरे टोले में महादलित/दलित/अतिपिछड़ा अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर अधिक संख्या वाले टोले में क्रमानुसार उन्हें प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता द्वारा प्रतिनियोजित किया जाएगा। नये प्रतिनियोजन स्थल में उन्हें 2 से 3 वर्ष कार्य करना होगा। इस क्रम में सभी टोला आच्छादित होने पर एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रतिनियोजन दूसरे पंचायत में किया जाएगा। स्थान परिवर्तन का निर्णय वर्ष के अप्रैल या मई माह में लिया जाएगा ताकि शैक्षिक वर्ष के आरंभ से कार्य करने का अवसर मिले।

(iv) नियोजन समाप्ति के विरूद्ध प्रथम अपील 15 दिनों के अंदर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिवार्य रूप में 15 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर जिला पदाधिकारी के समक्ष 15 दिनों के अंदर द्वितीय अपील किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर द्वितीय अपील का निष्पादन करेंगे।

11. इस मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश, जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरसित समझे जायेंगे।

12. यह मार्गदर्शिका पूर्व से कार्यरत टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी पर भी लागू होगी।

13. इस मार्गदर्शिका में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

***